

राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के लिए

डीबी सिविल विविध अपील संख्या 1578/2021

श्रीमती सुमन देवी पत्नी श्री अजय कुमार पुत्र श्री गोपाल लाल, उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी ग्राम बागावास, तहसील किशनगढ़ रेनवाल, जिला जयपुर।

----अपीलकर्ता

बनाम

अजय कुमार पुत्र श्री अर्जुन लाल, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी ग्राम तन की ढाणी, मांडा भोपावास, तहसील एवं जिला जयपुर राज।

---- प्रतिवादी

अपीलकर्ता(ओं) के लिए : श्री राजेश गडवाल
प्रतिवादी(ओं) के लिए : श्री कुशल बलवाड़ा

माननीय श्रीमान. जस्टिस अवनीश झिंगन

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार

निर्णय

20/08/2024

अवनीश झिंगन, जे

- यह अपील हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (संक्षिप्त में 'अधिनियम') की धारा 13 के तहत दायर याचिका को खारिज करने वाले दिनांक 15.07.2021 के निर्णय और डिक्री के खिलाफ दायर की गई है।
- संक्षिप्त तथ्य यह है कि दोनों पक्षों का विवाह 29.06.2007 को हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार संपन्न हुआ था। इस रिश्ते में खटास आ गई और परिणामस्वरूप, पत्नी ने वर्ष 2015 में ससुराल छोड़ दिया। रिश्तेदारों द्वारा किए गए प्रयासों के बावजूद, ससुराल वालों ने अंततः 05.09.2019 को अपीलकर्ता-पत्नी को पति के साथ रहने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। इसके बाद, क्रूरता और परित्याग के आधार पर तलाक की मांग करते हुए अधिनियम की धारा 13 के तहत याचिका दायर की गई।
- प्रतिवादी-पति ने याचिका का उत्तर दाखिल किया और इस तथ्य को स्वीकार किया कि 01.06.2015 से परित्याग चल रहा था और अलग रहने का कोई उचित कारण नहीं था। यह

दलील दी गई कि समाज के वरिष्ठों के हस्तक्षेप से, दोनों पक्षों ने मामले में समझौता कर लिया और अलग होने का फैसला किया। मुद्दे तय होने के बाद, प्रतिवादी के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की गई। अपीलकर्ता क्रूरता साबित करने में विफल रही। पारिवारिक न्यायालय ने पाया कि प्रतिवादी-पति ने परित्याग के तथ्य को स्वीकार किया था। फिर भी, याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी गई कि ऐसी परिस्थितियों में, अधिनियम की धारा 13 बी के तहत एक याचिका दायर की जानी चाहिए थी।

4. अपीलकर्ता के विद्वान वकील का तर्क है कि दोनों पक्ष बिना किसी उचित कारण के 2015 से अलग-अलग रह रहे हैं। अपीलकर्ता की गवाही और AW-2 से परित्याग साबित हो गया और पारिवारिक न्यायालय ने याचिका खारिज करने में गलती की।

5. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का बचाव किया। उनका तर्क है कि अपीलकर्ता की ओर से परित्याग और क्रूरता साबित करने में विफलता रही।

6. उभय पक्ष के अधिवक्ताओं को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

7. यह तथ्य निर्विवाद है कि दोनों पक्ष 2015 में बिना किसी कारण के अलग-अलग रहने लगे थे।

8. बिपिनचंद्र जयसिंह बाई शाह बनाम प्रभावती के मामले में एआईआर **1957** एससी **176** में प्रकाशित उच्चतम न्यायालय ने परित्याग के आधार पर विवाह विच्छेद के लिए निम्नलिखित पूर्वापेक्षाएं निर्धारित की हैं:

“(1) अलगाव का तथ्य;

(2) शत्रुता डेसेरेन्डी ;

(3) उसकी सहमति का अभाव ; और

(4) उसके आचरण का अभाव , जो परित्यक्ता पति या पत्नी को वैवाहिक घर छोड़ने का उचित कारण देता हो।”

देवानंद तामुली बनाम काकुमोनी काताकी मामले में **(2022) 5 एससीसी 459** में सुप्रीम कोर्ट ने निम्नानुसार फैसला सुनाया है:

“7. उत्तमचंद्र मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया। कृपलानी (सुप्रा) में उल्लेख किया गया है जिसका इस न्यायालय के कई निर्णयों में लगातार पालन किया गया है। इस न्यायालय द्वारा लगातार

निर्धारित कानून यह है कि परित्याग का अर्थ है एक पति या पत्नी का दूसरे की सहमति के बिना और उचित कारण के बिना जानबूझकर परित्याग करना। परित्यक्त पति या पत्नी को यह साबित करना होगा कि अलगाव का तथ्य है और परित्यक्त पति या पत्नी की ओर से सहवास को स्थायी रूप से समाप्त करने का इरादा है। दूसरे शब्दों में, परित्यक्त पति या पत्नी की ओर से परित्याग की भावना होनी चाहिए। परित्यक्त पति या पत्नी की ओर से सहमति का अभाव होना चाहिए और परित्यक्त पति या पत्नी के आचरण से परित्यक्त पति या पत्नी को वैवाहिक घर छोड़ने का उचित कारण नहीं मिलना चाहिए.....”

9. अपीलकर्ता क्रूरता साबित करने में विफल रहा, लेकिन विवाह विच्छेद के लिए अधिनियम की धारा 13 में उल्लिखित एक आधार पर्याप्त है। इस मामले में, प्रतिवादी द्वारा न केवल परित्याग साबित किया गया, बल्कि स्वीकार भी किया गया। पारिवारिक न्यायालय ने यह मानते हुए गलती की कि अधिनियम की धारा 13 बी के तहत याचिका दायर करना ही एकमात्र उपलब्ध उपाय है। आपसी सहमति के आधार पर तलाक केवल तभी दिया जा सकता है जब पक्षकार एक वर्ष या उससे अधिक समय से अलग रह रहे हों, साथ रहने में सक्षम न हों और विवाह विच्छेद के लिए आपसी सहमति से सहमत हों। वर्तमान मामले में पक्षकारों के बीच विवाह विच्छेद के लिए कोई आम सहमति नहीं थी और अधिनियम की धारा 13 बी के तहत याचिका दायर करने का कोई सवाल ही नहीं था।

10. धारा 13 के तहत विवाह विच्छेद के लिए परित्याग एक आधार है और पारिवारिक न्यायालय ने यह मान कर गलती की कि उसे अधिनियम की धारा 13 के तहत स्वीकृत परित्याग के आधार पर विवाह विच्छेद करने का कोई अधिकार नहीं है। पारिवारिक न्यायालय द्वारा संजीता दास बनाम तपन कुमार मोहंती **(2010 4 आरसीआर (सिविल) 573)** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करना गलत था। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अधिनियम की धारा 13 के तहत, अधिनियम की धारा 13 में निर्धारित आधारों के अलावा, केवल पक्षकारों की सहमति से विवाह विच्छेद नहीं किया जा सकता।

11. इस बात को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता कि जो दलील स्वीकार कर ली गई है, उसे साबित करने का दायित्व समाप्त हो गया है। वर्तमान मामले में अपीलकर्ता अपनी गवाही और AW-2 के बयान से भी परित्याग साबित करने में सफल रही।

12. सर्वोच्च न्यायालय ने बी.प्रभाकर बनाम बसवराज के . (मृत) एलआर और अन्य के मामले में एआईआर **2021** एससी **4830** में रिपोर्ट किया है , जिसमें निम्नानुसार माना गया है:

“15. धारा 17 “स्वीकृति” को परिभाषित करती है जिसमें मौखिक और दस्तावेज़ी दोनों प्रकार के कथन शामिल होंगे। जब ऐसी स्वीकृति स्पष्ट और असंदिग्ध हो, तो न्यायिक संज्ञान लेते समय उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। धारा 58 के अंतर्गत, स्वीकृत तथ्य को तब तक सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि न्यायालय इसकी पुष्टि न करे। *****”

13. दोनों पक्ष 2015 से अपने-अपने पति/पत्नी की सहमति के बिना अलग-अलग रह रहे थे और उनके पास वैवाहिक घर छोड़ने का कोई उचित कारण नहीं था। अपील स्वीकार की जाती है और तलाक की डिक्री द्वारा दोनों पक्षों का विवाह विच्छेद किया जाता है। कार्यालय को तदनुसार डिक्री तैयार करने का निर्देश दिया जाता है।

(आशुतोष कुमार) , जे

(अवनीश झिंगन), जे

रिया /एमआर/26

रिपोर्ट करने योग्य है या नहीं: हाँ/नहीं

अस्वीकरणः इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।



अधिवक्ता अविनाश चौधरी